# संविधान संशोधन - Constitutional Ammendment

प्रथम संविधान संशोधन अधि. 1951 —

- SC/ST के लिए आरक्षण
- नौवी अनुसूची को शामील किया गया।

7th C.A.A. 1956 :-

- राज्यों के भाषायी आधार पर विभाजन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग।
- एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का देखरेख कर सकेगा।

**15वाँ C.A.A. 1961 :-**

↳ उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष का कर दिया।

**21वाँ C.A.A. 1967 :-**

↳ 15वीं भाषा के रूप मे सिंधि भाषा को शामिल किया गया।

**24वा C.A.A. 1967 :-**

संविधान मे संशोधन करने की शक्ति संसद को दिया गया।

26वां C.A.A. 1971-72 ÷ प्रिवि पर्स को समाप्त कर दिया गया।

↳ राजा-महाराजा को मिलने वाला पेंशन बन्द

30वां C.A.A. 1972 ÷ लोकसभा के सिटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया।

→ संघ शासित राज्य की अधिकतम सीट को 25 से घटा कर 20 कर दिया गया।

## 35वां C.A.A. 1974 :-

सिक्किम को सहयुक्त राज्य (Associate state) का दर्जा दिया गया।

## 36वां C.A.A 1975 :-

सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यह भारत का २२वां राज्य बना।

## 42वाँ C.A.A. 1976 :- यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसे भारतीय संविधान का लघु संविधान (Mini-Constitution) कहते हैं।

1- मौलिक कर्तव्य को शामील किया गया - (10)

(2) - प्रस्तावना मे 3 शब्दों को जोड़ा गया ।-

(3) - गरिब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सलाहकार का प्रावधान किया गया ।

(4) - मजदूरों को प्रबंधन मे भागीदारी दिया गया ।

(5) वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान ।

(6) शिक्षा वन, जल को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।

(7) - लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया।

(8) - राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा।

44वाँ C.A.A - 1978 :- गैरकांग्रेसी जनता पार्टी (मोरारजी देसाई)

(1) लोकसभा और विधान सभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।

(2). मंत्रीपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन मे वापस भेज सकेगा।

(3) सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार कर दिया गया।

(4) देश मे अशान्ति के स्थान पर रा० आ० का० की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जायेगा।

(5) अनु. 20 और 21 किसी भी दशा मे निलम्बित नही होगा।

52वाँ C.A.A. 1985 :- दल बदल कानुन लागू :

↳ 10वी अनुसूची :

↳ यदि कोई व्यक्ति किसी दल का सदस्य होते हुए, लोकसभा या विधान सभा सदस्य है, और बाद दूसरे दल मे शामील होता है, तो उनकी सदस्यता समाप्त।

अपवाद :- यदि 1/3 सदस्य अपना दल बनाये।

② त्रिशंकु सरकार की घोषणा हो।

58वां C.A.A-1987 ÷

राष्ट्रपति के द्वारा संविधान को हिन्दी मे प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान किया गया।

61वां-C-AA-1989 ÷

मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

65वां-C-AA-1990 ÷ SC और ST आयोग का पृथक्करण किया गया।

69वां C.AA.1992 ÷

दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दर्जा दिया गया।

70वां C.AA.1992 ÷

राष्ट्रपति के निर्वाचन मे दिल्ली और पुडुचेरी के विधान सभा को भाग लेने का अधिकार दिया गया।

**71वां C.A.A. 1992 :-**

↳ नेपाली, मणीपुरी और कोंकड़ी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया।

**73वां C.A.A. 1992 :-** पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

→ 11वीं अनुसूची जोड़ा गया।

74वां CAA-1993 :- नगरिय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
— 12वी अनुसूची मे शामील किया गया।

① - CAA :- ㉖ ⑭ ㊿ ⑦③

⑦ - ㉛ ㊷ ⑹⑼ ⑦④

⑮ - ㉟ ㊺⑧

㉑ ㊱ ⑥① ⑦⓪

㉕ ㊷ ⑦①

| |
|---|
| संविधान विकास - (1-30) |
| संविधान सभा व स्त्रोत (1-30) |
| राजनैतिक दल और दबाव समूह - (30) |